



वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, राँची।


चरित्र प्रमाण पत्र



प्रमाणित किया जाता है कि नाम-सुश्री/श्री/श्रीमती अशोक कुमार टेकरीवाल
पिता-श्री/स्व0/पति- प्रणवकिशोर टेकरीवाल सा0 लेक रवेन्धु कोंके रीउ
पो0 राँची विश्वविद्यालय थाना गौन्दा जिला- राँची का चरित्र एवं पूर्ववृत्त
की जाँच स्थानीय थाना प्रभारी, गौन्दा थाना, राँची द्वारा करायी गयी। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार
इनके विरुद्ध संबंधित थाना अभिलेख में कोई शिकायत दर्ज नहीं है।

ज्ञापांक 926 / सा0शा0

दिनांक:-



राजमुहर

वरीय पुलिस अधीक्षक
राँची।

नोट:- निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत की तिथि से छः महीने तक वैध है।

राँची